भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न स. 1514

उत्तर देने की तारीख 12.03.2025

छत्तीसगढ़ में जनजातियों का सामाजिक-आर्थिक विकास

1514 **श्रीमती फूलो देवी नेतमः**

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों में केन्द्र सरकार के सहयोग से चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य में अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए कौन-कौन सी योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा उक्त योजनाओं के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार को कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) उपरोक्त अवधि के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत जारी की गई राशि में से राज्य सरकार द्वारा उपयोग की गई और अप्रयुक्त धनराशि कितनी-कितनी है;

(ङ) क्या सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई नई योजना क्रियान्वित की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क), (ख) और (ग): छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार के कार्यक्रम/योजनाओं का वर्ष-वार ब्यौरा https://stcmis.gov.in पर उपलब्ध है।

(घ): विवरण **अनुलग्नक** पर है।

(ङ) और (च): जी हां। भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) का शुभारंभ किया। इस मिशन का उद्देश्य 3 वर्षों में सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी, अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। इन उद्देश्यों को 9-संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 11 उपायों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर, 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान में 17 संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 उपाय शामिल हैं और इसका उद्देश्य 5 करोड़ से अधिक जनजातियों को लाभान्वित करते हुए 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ सहित 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों में 63,843 गांवों में बुनियादी ढांचे के अंतरों को संतृप्त करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनवाड़ी सुविधाओं तक बेहतर पहुंच और आजीविका के अवसर प्रदान करना है।

<u>अनुलग्नक</u>

दिनांक 12.03.2025 को श्रीमती फूलो देवी नेतम द्वारा उठाए गए "छत्तीसगढ़ में जनजातियों का सामाजिक-आर्थिक विकास" के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1514 के भाग (घ) का संदर्भित **अनुलग्नक**

1. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान (परंतुक) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा जारी की गई निधियों और उपयोगिता प्रमाणपत्र दर्शाने वाला विवरण (दिनांक 07.03.2025 तक):

(लाख रुपये में)

वित्तीय वर्ष	**राज्य को जारी की गई निधियां**	**राज्य सरकार द्वारा सूचित उपयोगिता प्रमाण पत्र**
2019-20	22500.77	22500.77
2020-21	9976.24	9976.24
2021-22	11604.02	11604.02
2022-23	13578.43	13562.43
2023-24	15676.77	0.00
कुल	73336.23	57643.46

(2) टीएसएस को एससीए/पीएमएएजीवाई के तहत छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को जारी निधियों की स्थिति:

(लाख रुपये में)

पीएमएएजीवाई के तहत पहचाने गए कुल गांव	पीएमएएजीवाई के तहत अनुमोदित कुल वीडीपी	टीएसएस को एससीए के तहत जारी की गई निधियां	पीएमएएजीवाई के तहत जारी निधियां				यूसी प्रतीक्षित
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	
4029	1530	31181.4	15595.8	23021.82	0	0	38617.62

(3.1) छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में केन्द्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या और संवितरित निधि का विवरण निम्नानुसार है:

(लाख रुपये में)

योजना का नाम	**वित्तीय वर्ष 2019-20**		**वित्तीय वर्ष 2020-21**		**वित्तीय वर्ष 2021-22**		**वित्तीय वर्ष 2022-23**		**वित्तीय वर्ष 2023-24**	
	लाभार्थियों की संख्या	**निर्मुक्त निधि**	**लाभार्थियों की संख्या**	**निर्मुक्त निधि**	**लाभार्थियों की संख्या**	**निर्मुक्त निधि**	**लाभार्थियों की संख्या**	**निर्मुक्त निधि**	**लाभार्थियों की संख्या**	**निर्मुक्त निधि**
राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना	1	2.85	2	23.28	1	15.84	1	16.52		
राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति(फेलोशिप) योजना (एनएफएसटी)	58	180.03	59	222.39	69	197.43	100	333	109	664.37
राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (सर्वोच्च श्रेणी)	56	52.94	69	58.35	71	61.68	72	82.74	156	195.79

(3.2) छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में केन्द्र प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत जारी निधि एवं उसके उपयोग का विवरण निम्नानुसार है:

(लाख रुपये में)

योजना का नाम	**वित्तीय वर्ष 2019-20**		**वित्तीय वर्ष 2020-21**		**वित्तीय वर्ष 2021-22**		**वित्तीय वर्ष 2022-23**		**वित्तीय वर्ष 2023-24**	
	निर्मुक्त निधि	उपयोग की गई निधि	निर्मुक्त निधि	उपयोग की गई निधि	निर्मुक्त निधि	उपयोग की गई निधि	निर्मुक्त निधि	उपयोग की गई निधि	निर्मुक्त निधि	उपयोग की गई निधि
मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना	4796.94	4796.94	3541.54	3541.54	0.00	0.00	0.00	0.00	5250.00	3745.57
मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	7022.69	7022.69	8790.24	8790.24	0.00	0.00	9330.35	9330.35	7125.00	7125.00

*****